उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-58/2016/1308/92-2-16-105आरई/2000

लखनऊ:: दिनांक:: 03 अक्टूबर,2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर में तैनाती के दौरान माचा (मुगुल रोड) से अमरौधा सम्पर्क मार्ग के निर्माण की टी0ए0सी0 जॉच में पायी गयी अनियमितताओं एवं शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 22-04-2004 द्वारा श्री ए0के0 सक्सेना तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये श्री सक्सेना का उत्तर मांगा गया। अपचारी अधिकारी, श्री सक्सेना के पत्र दिनांक 31.01.2007 द्वारा अपना उत्तर/स्पष्टीकरण शासन में उपलब्ध कराया गया। उक्त के उपरान्त शासन के पत्र दिनांक 06.03.2007 द्वारा श्री सक्सेना के स्पष्टीकरण पर निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ की आख्या/संस्तुति मांगी गयी, जिसके क्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 01.11.2007 द्वारा अपनी आख्या एवं संस्तुति शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी, श्री सक्सेना को शासकीय क्षति रू0 22,050.00 के 25 प्रतिशत अर्थात रू0 5,512.50 के लिये उत्तरदायी पाया गया। अतएव शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड के प्रस्ताव पर पत्र दिनांक 22.10.2008 तदक्रम में पत्र दिनांक 06.06.2016 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी।

2- लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 08/11 जुलाई,2016 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्व प्रस्तावित दण्ड पर आयोग ने अपनी सहमति निम्नवत प्रदान की है :-

" शासन द्वारा प्रस्तावित शास्ति रू0 5,512.50 (पॉच हजार पॉच सौ बारह रूपये पचास पैसे) की वसूली अपचारी अधिकारी की ग्रेच्युटी से की जाय।"

3- अतएव शासन के पत्र दिनांक 22.04.2004 द्वारा श्री ए0के0 सकसेना, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर के विरूद्व निर्गत कारण बताओ नोटिस में उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये प्रकरण समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है :-

" श्री ए0के0 सक्सेना, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा माचा (मुगुल रोड) से अमरौधा सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में घटित शासकीय क्षति में से रू0 5,512.50 की वसूली श्री ए0के0 सक्सेना की ग्रेच्युटी से की जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 58/2016/1308(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री ए0के0 सक्सेना, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

4- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-39/10/एडीसी/एस-12/2008-09 दिनांक 08/11 जुलाई,2016 के संदर्भ में।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।